UPGK010006292026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 337/2026

1. संजय कुमार पुत्र स्व० चन्द्रिका।
2. रीना देवी पत्नी संजय कुमार।

निवासीगण मोहल्ला- विशुनपुरा निकट महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं०-1, थाना- कैण्ट, जिला- गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य **.....विपक्षी**

मु०अ०सं०- 07/2026
अंतर्गत धारा- 110, 115(2), 351(3) B.N.S.
थाना- कैण्ट, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 09.04.2026

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०- 07/2026, अंतर्गत धारा- 110, 115(2), 351(3) B.N.S., थाना- कैण्ट, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उनका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी एक विधवा एवं असहाय औरत है। वादिनी का बेटा और उसकी पत्नी रीना उसे खाना पीना नहीं देते है और हमेशा झगड़ा एवं मारपीट करते रहते है। उक्त लोग वादिी को बुरी तरह मारे पीटे जिसकी वजह से उसके हाथ एवं पैर में काफी चोटें आई जिसकी खबर वादिनी बेटियां उर्मिला, निर्मला, सुनीता, प्रमीला वादिनी को देखने के लिए जैसे ही घर अपने ससुराल से आई उसी समय वादिनी का बेटा, बहू एवं बहू का लड़का प्रिंस वादिनी व उसकी बेटियों से झगड़ा करने लगा और कुल्हाड़ी से बेटियों पर प्रहार किया जिसके कारण वादिनी की बेटी प्रमीला का सिर तीन जगह फट गया है और निर्मला के सिर एवं हाथ में गंभीर चोटें आई तथा सुनीता का सिर कई जगह से फट गया है उसकी हालत गंभीर एवं नाजुक है। वादिनी का बेटा बहुत

मनबढ़ एवं बदमाश किस्म का है वह हमेशा धमकी देता है कि तुम्हें एवं तुम्हारी बेटियों को जान से मार दूंगा।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं, प्रार्थीगण ने कोई जुर्म नहीं किये हैं। प्रार्थीगण को फर्जी तथ्य के आधार पर मुकदमें में फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक व समय वही दर्शित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से खूब सोच समझकर लिखायी गयी है जिसका कोई उचित कारण दर्शित नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा प्रार्थी संजय कुमार की माता तथा सहअभियुक्ता रीना देवी की रिश्ते में सास लगती है। प्रार्थी की मां वादिनी मुकदमा काफी बुजुर्ग है। जिनकी देख-भाल प्रार्थी ही करता है। घटना दिनांक-30.12.2025 को प्रार्थी की बहने क्रमशः उर्मिला, निर्मला, सुनीता, प्रमिला, सरिता व सरिता की लड़की प्रतिभा व प्रार्थी के जीजा सहाजन प्रार्थीगण के घर आये और प्रार्थी की माँ/वादिनी मुकदमा को बहला फुसला कर पुस्तैनी जमीन अपने नाम कराने ले जा रहे थे, मैने जब मना किया तो सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थीगण को गाली-गुप्ता, जान मारने की धमकी देते हुए मारा-पीटा गया। प्रार्थीगण ने अपने चोटों की डाक्टरी मुआईना अखिल भारतीय अयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर (एम्स) में करायी गयी। उक्त छीना-झपटी व भाग-दौड में गिरने पड़ने से प्रार्थी की माँ/वादिनी मुकदमा को भी चोटे आई थी प्रार्थीगण ने वादिनी मुकदमा को मारा-पीटा नहीं था और न ही जान मारने की धमकी दी। प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण को गिरफ्तार कर जेल में निरूद्ध करने की सम्भावना है। सभी धाराये 7 वर्ष से कम की सजा के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्तगण को जमानत पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/ अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा एवं उसकी पुत्रियों को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया है, जो एक गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसके कारण अभियुक्तगण अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध मुख्य रूप से वादिनी मुकदमा एवं उसकी पुत्रियों को मार पीटकर गंभीर रूप से घायल कर उनके आपारधिक मानव वध के प्रयत्न का अभियोग है। प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध सभी अपराध सात वर्ष तक के कारावास से

दंडनीय होने के कारण दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण की गैर गिरफ्तारी में धारा- 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नोटिस के अनुपालन में उनका बयान अंकित करते हुए विवेचना की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। उक्त तथ्य प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की संभावना को क्षीर्ण करता है। अभियुक्तगण की ओर से ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो सके कि उन्हें गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित कराने के आशय से प्रस्तुत मामले में झूठा संलिप्त किया गया हो।उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण संजय कुमार एवं रीना देवी द्वारा मु०अ०सं०- 07/2026, अंतर्गत धारा- 110, 115(2), 351(3) B.N.S., थाना- कैण्ट, जनपद- गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक-09.04.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6066

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.04.09 16:51:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court